वरीय प्रभारी पदाधिकारी

शाखा

दिनांक 03.09.2013 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की अध्यक्षता में उप निर्वाचन पदाधिकारियों/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
2. श्री सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
3. श्री नन्द किशोर राम, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
4. श्री भरत लाल बैठा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
5. श्री संजय कुमार, उप सचिव
6. श्री शम्भु चौधरी, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
7. श्री अशोक प्रियदर्शी, उप निर्वाचन पदाधिकारी (मु0)
8. श्री सुधाकर प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी (मु0)
9. श्रीमती प्रियंका सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु0)
10. श्री रत्नाम्बर निलय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु0)
11. सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी।

बैठक को प्रारम्भ करते हुये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निम्न विषयों पर समीक्षा की गयी :-

(I) निर्वाचन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण –

- सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर हेतु दो–दो, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय हेतु एक–एक एवं सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हेतु एक–एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के कार्य के अंतर्गत अभी तक कुल 328 में से 267 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (तिरहुत प्रमण्डल को छोड़कर) बेल्ट्रॉन द्वारा भेजे जाने की सूचना दी गयी। इनके योगदान के संबंध में जिलों से जानकारी ली गयी। यह स्पष्ट किया गया कि उक्त ऑपरेटर निर्वाचन संबंधी कार्य ही करेंगे। इनका एकरारनामा जिला स्तर से हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं बेल्ट्रॉन को भुगतान हेतु उपस्थिति उपलब्ध कराने, बेल्ट्रॉन से विपत्र प्राप्त होने पर भुगतान करने की जिम्मेवारी जिला की होगी।

- क्षेत्रीय कार्यालयों के कम्प्यूटराईजेशन के अंतर्गत सभी जिलों को उन्हें बिस्वान परियोजना (आवंटन संबंधी पत्रांक 2621 दिनांक 09.04.2010) एवं ई–गवर्नेन्स राज्य परियोजना (आवंटन संबंधी पत्रांक 2240 दिनांक 15.04.2013) के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर उपस्करों की प्राप्ति रसीद बेल्ट्रॉन से प्राप्त कर सत्यापन हेतु उपलब्ध कराये जाने की सूचना दी गयी। साथ ही उपर्युक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी कार्यालयों को प्राप्त कराये गये उपस्करों का वार्षिक सत्यापन प्रतिवेदन भी दिनांक 20.09.2013 तक उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(II) निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र –

- निर्वाचक सूची में शत–प्रतिशत छायाचित्र एवं ईपिक का आच्छादन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

- निर्वाचक सूची में पायी गयी संभावित दोहरी प्रविष्टि (Duplicate Records), जिनके जिलावार आंकड़े उन्हें हस्तगत कराये जा चुके हैं, का सत्यापन कराकर इनका नियमानुसार विलोपन करने हेतु निदेश दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में कार्रवाई सभी निर्धारित नियमों का विधिवत् पालन करते हुए की जाये।

- निर्वाचक सूची के कंट्रोल टेबल में पंचायतों, पुलिस थाना, पोस्ट ऑफिस, राजस्व ग्राम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों पर चिंता प्रकट की गयी। प्रत्येक जिला को संबंधित जिलों की त्रुटियों का सारांश उपलब्ध कराते हुए इसकी जाँच कर **दिनांक 12.09.2013 तक कंट्रोल टेबल के आंकड़ों को शुद्ध करने का निदेश दिया गया।**

- निर्वाचक–जनसंख्या अनुपात, लिंगानुपात तथा 18–19 आयु वर्ग समूह के अनुरूप निर्वाचक सूची में योग्य सभी नागरिकों के (विशेषकर महिला एवं युवा) के पंजीकरण हेतु निदेश दिया गया। निर्वाचक सूची में घटते लिंगानुपात पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चिंता प्रकट की गयी एवं **प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 20 महिलाओं (विशेषतया 18–19 आयु वर्ग की महिलायें) का निबंधन सुनिश्चित करने एवं इसका दैनिक अनुश्रवण करने हेतु निदेश दिया गया।**

- पोस्टल बैलेट् से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मियों का निर्वाचक सूची में नामाकन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। **निर्वाचन हेतु सभी सरकारी कर्मियों के Personnel Database में उनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम, मतदान केन्द्र, क्रम संख्या संबंधी विवरणी अनिवार्य रूप से प्रविष्ट कराना सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया** ताकि चुनाव के समय सरकारी कर्मियों को ई.डी.सी. / पोस्टल बैलेट निर्गत किये जा सकें।

- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के नियंत्रण कक्ष–सह–हेल्पलाईन गठित कर विहित प्रपत्र (इस कार्यालय का पत्रांक 4529 दिनांक 27.08.2013) में सूचना दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2014 के अवधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट पर संचारित ऑनलाईन रिपोर्टिंग के अंतर्गत "Claim /objection (After Draft Publication w.r.t. 01/01/2014)" में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार **आँकड़ों की प्रतिदिन अपलोडिंग करने हेतु निदेश** दिया गया है।

- अप्रवासी निर्वाचकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। इस हेतु प्रपत्र 6क में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का पदनाम एवं पता अंकित कर वैसे घरों में जिनके सदस्य विदेश में रहते हैं, उनके सदस्यों को जानकारी सहित प्रपत्र संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराने हेतु बी.एल.ओ. को निदेशित करने का **निदेश दिया गया।**

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्ररूप 1–8 के प्ररूप 6 (Polling Station Locations (PSL) Details), 7 (Information on Service Voters) एवं 8 (Constituency wise Information on migrated Electors) में आंकड़ों का प्रेषण करने हेतु निदेश दिया गया।

- स्नातक / शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अंतर्गत ससमय क्रियान्वयन करने एवं इसका अनुश्रवण करने हेतु निदेश दिया गया।

- अपने जिला के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सेवा निर्वाचक सूची की सी.डी. (MS-Access में) अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(III) बी.एल.ओ. –

- सभी नव सृजित मतदान केन्द्र के लिए स्थानीय बी.एल.ओ. अविलंब नियुक्त करने का **निदेश दिया** गया। बी.एल.ओ. के रूप में शिक्षकों की निर्भरता कम करने एवं अन्य विकल्प जैसे आंगनवाड़ी सेविकाओं की नियुक्त करने पर बल दिया गया ।

- सभी बी.एल.ओ. को सिटीजन सर्विसेज पोर्टल पर यूजर बनाने का लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस कार्य के पूर्ण होने पर जिला के सभी बी.एल. ओ. से त्वरित संवाद स्थापित कर सकने की सुविधा के महत्व को इंगित किया गया।

❖ निर्वाचक सूची में 70 प्रतिशत से कम छायाचित्र आच्छादन वाले मतदान केन्द्रों के बी.एल.ओ. के विरूद्ध कार्य में लापरवाही/वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए कार्रवाई करते हुए कार्य से विमुक्त करने संबंधी अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(IV) मतदान केन्द्र से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण –

❖ मतदान केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं (रैम्प, पेयजल, शौचालय (पुरूष एवं महिला के लिए अलग-अलग), विद्युत आपूर्ति, दूरभाष संपर्कता इत्यादि) का विवरण – Fortnightly Report शीघ्र प्रेषित करने हेतु निदेश दिया गया।

(V) मतदान केन्द्रों का अक्षांश/देशांतर एवं छायाचित्र अपलोड करने के संबंध में –

❖ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यह निदेश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों में अक्षांश/देशांतर एवं छायाचित्रों की अपलोडिंग के कार्य की अंतिम तिथि दिनांक 12.09.2013 है। इस तिथि तक यह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाये। वैसे जिले जिनके आंकड़े त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं/विधान सभा की सीमा के बाहर के अक्षांश/देशांतर अंकित पाये गये हैं, वे जिले तत्काल जी.पी.एस. उपकरण/जी.पी.एस. सुविधा वाले मोबाईल के माध्यम से जाँच कर सही अक्षांश/देशांतर अंकित करें।

(VI) ई.वी.एम. –

❖ ई.वी.एम. गोदाम का नियमानुसार भौतिक सत्यापन पूर्ण किये जाने एवं 24x7 सुरक्षा उपलब्ध रहने संबंधी प्रमाण पत्र अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

❖ ई.वी.एम. ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर पर भौतिक सत्यापन के अनुरूप आंकड़ों का सत्यापन एवं Status का अपडेशन शीघ्र किये जाने हेतु निदेश दिया गया।

❖ ई.वी.एम. गोदाम हेतु स्थल चयन कर प्रस्ताव का विहित स्वरूप में प्रेषण करने हेतु निदेश दिया गया। यह सूचित किया गया कि ई.वी.एम. गोदाम के निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध किया जा चुका है। अतएव इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ई.वी.एम. गोदाम हेतु भूमि अधिग्रहण कर स्थल चयन कदापि नहीं किया जाये।

❖ पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, कटिहार, सहरसा, कैमूर, औरंगाबाद एवं नवादा जिलों से 1989–90 मॉडल के ई.वी.एम. को पटना जिला हस्तांतरित करने के संबंध में चर्चा की गयी एवं तदनुसार निदेश दिये गये।

(VII) स्वीप (SVEEP) –

❖ SVEEP के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 4587 दिनांक 02.09.2013 के आलोक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2014 का जिला स्वीप प्लान (District SVEEP Plan) शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

❖ न्यूनतम Voter Turn Out के आधार पर प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के दस मतदान केन्द्रों को चिह्नित करना एवं इसके कारणों की पहचान करने हेतु निदेश दिये गये।

❖ जिला के प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/इन्टर महाविद्यालयों में कैम्पस एम्बेसेडर की नियुक्ति कर उनका Orientation एवं बैठक करने हेतु निदेश दिया गया।

- ❖ सभी जिलों में यथासंभव जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी अथवा अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को जिला स्वीप नोडल पदाधिकारी के रूप में चिह्नित करने एवं नोडल पदाधिकारियों की सूची को अद्यतन करने हेतु निदेश दिया गया।
- ❖ जिला के अंतर्गत सभी सिनेमा हॉल में स्वीप संबंधी स्लाईड/वीडियो का परिचालन, रेडियो के माध्यम से स्वीप के ऑडियो जिंगल्स, National Icons का प्रचार संदेश एवं केबल के माध्यम से स्क्रॉल्स इत्यादि संक्षिप्त पुनरीक्षण की दावा/आपत्ति के संबंध में प्रचार हेतु निदेश दिया गया।
- ❖ जिला में स्वीप के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधि का Documentation (Photographs, clippings, sh[illegible] summay, प्रत्येक विज्ञापन, खबर का संकलन, यथा शाम्बव डिजिटल कॉपी भी संधारित करने हेतु निदेश दिया गया।
- ❖ गुजरात राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वीप गतिविधियों की पुस्तिका सभी जिलों को उपलब्ध करायी गयी।

(VIII) **बजट आवंटन–डी.सी. विपत्र, लेखा एवं अंकेक्षण, लेखा मिलान तथा मासिक–त्रैमासिक प्रतिवेदन** –

- ❖ सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को लंबित ए.सी. विपत्रों के विरूद्ध डी.सी. विपत्र तैयार कर महालेखाकार कार्यालय में निश्चित रूप से जमा कराने तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
- ❖ महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन, सी.ए.जी. प्रतिवेदन एवं लोक लेखा समिति से संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेजते हुए उसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
- ❖ मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

6/9/2013
(अजय नायक)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : 4732 पटना, दिनांक 06 सितम्बर 2013.

प्रतिलिपि : बिहार राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/2013
(संजय कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक 367 / निर्वा. मधेपुरा दिनांक 11/09/2013.

प्रतिलिपि:- सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र में दिए गए सभी बिन्दुओं पर ससमय अनुपालन करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मधेपुरा को वेबसाईट पर प्रकाशित हेतु प्रेषित।

11/9/13
उप निर्वाचन पदाधिकारी
मधेपुरा।
11/09/13